

प्रेस-विज्ञप्तिथाना देवगांवप्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास विफल, 02 महिलाओं सहित 18 व्यक्ति गिरफ्तारघटना का विवरण:-

दिनांक 25.05.2023 को प्रातः 03:00 बजे लगभग चौकी प्रभारी लालगंज देवेन्द्र नाथ दूबे व उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह व उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह टीकरगाड़ चौराहा हाइवे पर मौजूदगी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम चिरकिहिट (पाही पर चाचा घराना) में कुछ लोग इकट्ठा होकर प्रलोभन देकर हिन्दू से मुस्लिम में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।

इस सूचना पर समस्त पुलिस बल ग्राम चिरकिहिट (पाही पर चाचा घराना) पहुँचे, मौके पर पहुंचकर देखा गया तो भारी भीड़ थी। भीड़ के पास जाकर देखा गया तो मजारनुमा बनाकर उसपर त्रिशुल गाड़कर, माला फूल लपेटकर व लाल, पीला, हरा कपड़ा बांधकर कव्वाली गाते हुए तकरीरे पढ़ी जा रही थी। मुस्लिम धर्म की तारीफ की जा रही थी तथा हिन्दू धर्म के मान्यताओं को पाखण्ड व झूठा बताया जा रहा था तथा मुस्लिम धर्म के हिसाब से हिन्दूओं को प्रलोभन देकर हिन्दू से मुसलमान बनाने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा धर्म में परिवर्तन कराने वालों को घेराबन्दी कर 02 महिला व 16 पुरुषों (कुल 18) को पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों को हिन्दू से मुस्लिम में धर्म परिवर्तन कराने पर ऊपर से पैसा मिलता है। आज हम लोग तमाम लोगों को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन करा रहे थे

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 221/2023 धारा 3,5(1) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना देवगांव।

बरामदगी का विवरण-

07 त्रिशुल,

02 फोटो,

02 ढोल,

02 साउण्ड मिक्सर,

01 हार्मोनियम,

06 साउण्ड बाक्स,

02 साउण्ड हार्न,

02 भगौना,

01 गैस सिलेण्डर,

01 गैस चुल्हा,

01 जनरेटर,

01 अदद टैम्पू UP50CT7622,

01 बुलट मोटर साइकिल नं0 UP50BL9320

01 अर्टिगा कार UP61AR9527

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अवधेश सरोज उर्फ वकील पुत्र बुद्धु सरोज

2. उषा देवी पत्नी अवधेश सरोज निवासीगण चिरकिहिट (पाही पर चाचा घराना) थाना देवगांव आमगढ़

3. पन्ना लाल गुप्ता पुत्र रामबदन गुप्ता निवासी असाऊटीकर थाना गंभीरपुर आजमगढ़

4. फरीद मोहम्मद पुत्र मकबुल निवासी रेहरामाफी थाना गेड़ार बुजुर्ग थाना जनपद बलरामपुर स्थाई पता ग्राम दिलावर थाना इतरौली जनपद बलरामपुर (गायक)

5. मो0 सबरोज पुत्र मो0 इशहाक निवासी रेहरामाफी थाना गेडार बुजुर्ग थाना जनपद बलरामपुर
6. रमजान पुत्र अब्दुल मजिद निवासी रेतवांगाढा थाना धानेपुर जनपद गोंडा
7. रसीद पुत्र लिल्लाही निवासी मदपुर थाना अतरौली जनपद बलरामपुर
8. सहाबुद्दिन पुत्र लायकदार निवासी रेहरामाफी थाना गेडार बुजुर्ग जनपद बलरामपुर
9. सिकन्दर पुत्र स्व0 सज्जाक निवासी मैनपुर थाना बरदह आजमगढ़
10. हसीना पत्नी मो0 अनीश उसरगांवा थाना बरदह आजमगढ़
11. मो0 जावेद पुत्र सोहबत अली निवासी दरगाह थाना मधुबन जनपद मऊ
12. फैयाज पुत्र वसीर अहमद निवासी अइलिया थाना चन्दवक जौनपुर
13. कुन्दन बेनवंशी पुत्र श्रवण निवासी गोमाडी थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़
14. परवेज आजम पुत्र रियाजुद्दीन निवासी सियाह थाना मधुबन जनपद मऊ
15. इरफान अहमद पुत्र हाफिज सुबहान निवासी निवासी दरगाह थाना मधुबन जनपद मऊ
16. साबिर अली पुत्र साकिर अली निवासी दरगाह जनपद मऊ
17. आकाश सरोज पुत्र फिरतू सरोज निवासी कसमुलिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
18. जावेद अहमद पुत्र अली हुसैन निवासी वार्ड नं 10 थाना मधुबन जनपद मऊ

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
2. उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह चौकी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
3. उ0नि0 विनय कुमार यादव थाना देवगाँव आजमगढ़
4. का0 संजय सिंह चौकी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
5. का0 प्रदीप पटेल चौकी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
6. का0 अनील यादव चौकी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
7. हे0का0 नन्दलाल सिंह चौकी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
7. म0आ0 बिन्नी यादव थाना देवगाँव आजमगढ़
8. का0 शिवम राय थाना देवगाँव आजमगढ़
9. हे0का0 अजीत सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़
10. का0 आलोक यादव थाना देवगाँव आजमगढ़

### थाना - अहरौला

डकैती की योजना बनाते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा व कारतूस बरामद

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.05.2023 को SHO योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह थानाक्षेत्र में मौजूद थे इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति समशाबाद अंडर पास के नीचे डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए है। जिनके पास अवैध असलहे भी है।

इस सूचना पर थाना प्रभारी अहरौला मय हमराह द्वारा समशाबाद अंडरपास के निकट पहुँचकर अंडरपास पहुंचकर छिपकर देखा गया तो रोशनी में पाँच व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिये। तथा उनकी बात सुनी गयी जिसमें आसपड़ोस के लोगो के सो जाने पर डकैती करने की बात की जा रही थी। इस डकैती की तैयारी को विफल करने के उद्देश्य से समस्त पुलिस टीम द्वारा अचानक दबिश देकर पाँचो अभियुक्तों को समशाबाद अंडरपास के नीचे समय 01:10 बजे पकड लिया।

### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 138/23 धारा 399 ,402 भादवि व मु0अ0सं0 139/23 धारा 3/25 आमर्स एक्ट,  
मु0अ0सं0 140/23 धारा 3/25 आमर्स एक्ट

मु0अ0सं0 141/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 142/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट,

मु0अ0सं0 143/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट-

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1. जीशान खान पुत्र कय्यूम खान निवासी ग्राम सेहरी मोहम्मदपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेड़करनगर उम्र करीब 20 वर्ष
2. शुभ सिंह पुत्र भानूप्रताप सिंह निवासी ग्राम नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की उम्र करीब 19 वर्ष
3. सचिन सिंह पुत्र शिवप्रकाश सिंह निवासी ग्राम शम्भूपुर पूरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष
4. प्रतीक सिंह उर्फ छोटे सिंह पुत्र हरिशंकर सिंह निवासी ग्राम शम्भूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
5. मानवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ विशाल पुत्र केशरी प्रसाद सिंह निवासी ग्राम दौलताबाद थाना जैतपुर जनपद अम्बेड़करनगर उम्र करीब 21 वर्ष

**बरामदगीः-**

- 03 अवैध तमंचे 315 बोर
- 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 देशी पिस्टल नाजायज 7.65 MM
- 06 जिन्दा कारतूस 7.65 MM
- 01 देशी रिवाल्वर .38 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस .38 बोर
- 04 मोबाईल( सैमंसंग, रेडमी, एमआई, वीवो),  
1150 रूपये नगद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- SHO योगेन्द्र बहादुर सिंह,
- नि0अ0 यशवंत सिंह,
- उ0नि0 अमित कुमार पाल,
- का0 मुकेश गुप्ता,
- का0 पुष्पेन्द्र सिंह,
- का0 लालजी यादव ,
- का0 रामसिंह यादव,
- का0 शशिभूषण थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**थाना- कप्तानगंज**

**अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार**

आज 25.05.2023 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर पासीपुर पुलिसिया पर खड़े व्यक्ति को हिरासत में लेकर तलाशी की गयी तो उसके पास से एक देशी तमंचा व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर का बरामद हुआ।

पकड़े गये व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम अवनीश कुमार पुत्र राम दरश राम निवासी ग्राम- मुखलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 131/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

अभियुक्त अवनीश कुमार पुत्र राम दरश राम निवासी ग्राम- मुखलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

## बरामदगी-

एक देशी तमंचा

01 खोखा कारतूस .315 बोर

## गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव

हे0का0 अनिल कुमार पाठक

हे0का0 वीरेन्द्र यादव

## थाना निजामाबाद

### चोरी के अभियोग में प्रकाश मे आया अभियुक्त चोरी के माल के साथ गिरफ्तार

**पूर्व की घटना:-** दिनांक 15.05.23 को वादिनी पूनम पत्नी विजयप्रकाश यादव निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा घर से दो नाक की कली तथा 1000 रुपये अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिये जाने के सम्बंध में थाना स्थानीय पर दिनांक 17.05.23 को मु0अ0सं0 222/23 धारा-380 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना से अभियुक्त अबु ओसामा पुत्र मो0 इद्रीश पता चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया

### गिरफ्तारी का विवरण:-

उ0नि0 सूरज चौधरी मय हमराह फरहाबाद चौक पर मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमें से संबंधित अभियुक्त मुईया मकदुमपुर रोड़ पर खड़ा है फरिहा की तरफ जाने वाला है जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है।

इस सूचना पर उ0नि0 सूरज चौधरी मय हमराह मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अबु ओसामा पुत्र मो0 इद्रीश पता चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को पकड़ लिया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर 280 रुपये तथा एक सोने की कील बरामद हुई जिसे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.05.23 को पूनम के घर से चोरी किये गये रुपये मे से बचा होना तथा बाकी पैसो को खर्च होना बता रहा है। मौके से चोरी गये माल को बरामद किया गया।

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 222/23 धारा-380 भादवि तथा बढोत्तरी धारा 411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अबु ओसामा पुत्र मो0 इद्रीश पता चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद #आजमगढ़

## बरामदगी-

अभियुक्त के पास से 280 रुपये तथा एक सोने की नाक की कील बरामद हुई

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सूरज चौधरी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 संतोष यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 अरविन्द यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

## थाना दीदारगंज

### गैंगेस्टर का वांछित अभियुक्त तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

### गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 25.5.2023 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह चलाये जा रहे अभियान में कुशलगांव में मौजूद था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर साइकिल से चितारामहमुदपुर की तरफ से विछिया पुल के तरफ आ रहा है जो थाना स्थानीय का टाप टेन अपराधी है जिसके पास अवैध तमंचा व कारतूस है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है।

इस सूचना पर पूर्व मे क्षेत्र मे मौजूद उ0नि0 रवीन्द्रनाथ पाण्डेय चौकी प्रभारी मार्टीनगंज मय हमराह को अवगत कराते हुए स्वयं बिछिया पुल पर पहुंचकर इंतजार करने लगे इसी बीच एक व्यक्ति चितारामहमुदपुर की तरफ से मोटर साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया।

पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल रोकने का इशारा किये जिसपर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटर साइकिल मुडाकर भागना चाहा जिसपर पुटीम द्वारा पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति का नाम धर्मेन्द्र राजभर पुत्र महाजन राजभर निवासी कालेपुर थाना दीदारगंज आजमगढ के रूप में हुयी।

अभियुक्त के पास से एक तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ ।

### पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 127/23 धारा 2/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज।

### गिरफ्तार अभियुक्त

धर्मेन्द्र राजभर पुत्र महाजन राजभर निवासी कालेपुर थाना दीदारगंज आजमगढ

### आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 126/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986

1 मु.अ.सं. 1578/17

411,414,419,420,467,468,471 भादवि खेतासराय जौनपुर

2. मु.अ.सं. 1579/17 धारा 3/25आर्म्स एक्ट खेतासराय जौनपुर

3. मु.अ.सं. 5/18 धारा 379,411 भादवि दीदारगंज आजमगढ

4. मु.अ.सं. 127/18 धारा 392,411 भादवि दीदारगंज आजमगढ

5. मु.अ.सं. 137/18 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट दीदारगंज आजमगढ

6. मु.अ.सं. 140/18 धारा 411,413,419,420,467,468,471 भादवि दीदारगंज आजमगढ

7. मु.अ.सं. 47/19 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट दीदारगंज आजमगढ

8. मु.अ.सं. 229/18 धारा 419,420,भादवि व 66 आईटी एक्ट जीयनपुर आजमगढ

9. मु.अ.सं. 135/20 धाला 307 भादवि दीदारगंज आजमगढ

10. मु.अ.सं. 136/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दीदारगंज आजमगढ

11. मु.अ.सं. 177/19 धारा 307 भादवि सरायमीर आजमगढ

12. मु.अ.सं. 377ए/13 धारा 147,148,149,308,323,336,452,504,506 भादवि

दीदारगंज आजमगढ

### बरामदगी-

एक तमन्चा 315 बोर

एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक अपराध अनुराग कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

2. उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

3. हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

4. का0 आशीष कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

5. का0 उपेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

6. का0 दिग्विजय पाल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

## प्रेस विज्ञप्ति

### जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 460 वाहनों का चालान ।

दिनांक- 25.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 84 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1640 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 460 वाहनों का चालान किया गया।

## प्रेस-विज्ञप्ति

### पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना देवगांव और थाना मेहनगर का किया गया वार्षिक निरीक्षण

आज दिनांक- 25.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना देवगांव और थाना मेहनगर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये –

#### निरीक्षण थाना देवगांव:-

- ➡पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाने पर पहुंचकर गार्ड की सलामी ली गयी, तथा सलामी गार्ड की उच्च कोटि का टर्न आउट पाये जाने पर गार्ड को पुरस्कृत किया गया।
- ➡थाना कार्यालय के अभिलेखों (भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर, बीट बुक, जन सुनवाई रजिस्टर आदि) का निरीक्षण किया गया।
- ➡थाना परिसर की साफ-सफाई ठीक मिली।
- ➡अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के फलस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में अपराध में कमी आयी है।
- ➡पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाने के ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) को साफा प्रदान कर वार्ता की गयी।

#### निरीक्षण थाना मेहनगर:-

- ➡थाना कार्यालय के अभिलेखों (भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर, बीट बुक, जन सुनवाई रजिस्टर आदि) का निरीक्षण किया गया।
- ➡उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा को चौकी क्षेत्र के टाप टेन अपराधियों, हिस्ट्रीशीटर के बारे में जानकारी न होने के कारण प्रारम्भिक जांच हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
- ➡का0मु0 इलियास अली को न्यायालय आर्डर बुक रजिस्टर के रख रखाव व अद्यतन प्रविष्टि पाये जाने पर पुरस्कृत किया गया।
- ➡जन सुनवाई में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों (उ0नि0 रामअवध यादव, का0 ऋषि मुनि गौड़, म0आ0 रोशनी बोस) द्वारा जनसुनवाई रजिस्टर में प्रविष्टियां पूर्ण करने हेतु एवं प्रतिदिन संतुष्टि विषयक फिडबैक प्राप्त कर रजिस्टर में अंकित करने के लिये पुरस्कृत किया गया।